(ख) 1 सितम्बर, 1977 से मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा काउंटर पर ही नकद सहायता के भुगतान की एक नई सरलीकृत भुगतान योजना लागू हुई । इस नई कार्यविधि के अन्तर्गत, निर्यातकर्ता नकद सहायता के लिए सुबह अपने आवेदन-पत्र काउंटर पर देते हैं और उसी दिन शाम को प्रारंभिक संवीक्षा के बाद देय पाई गई राशि के लिए चैक प्राप्त करते हैं। नई कार्यविधि के अन्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के उस प्रमाण को पेश करना समाप्त कर दिया गया है जिसे पिछले सरलीकृत भुगतान योजना के अन्तर्गत पेश करना जरूरी था ।

उन निर्यातकर्ताओं को जिन्होंने 1976-77 के दौरान निर्यात किये थे और उस पर आर० ई० पी० लाइसेंस और अथवा नकद सहायता प्राप्त की थी वे इस योजना के अन्तर्गत नकद सहायता पाने के पात्र हैं ।

**नालन्दा, पावापुरी और राजगीर पर्यटन केन्द्रों की स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों द्वारा यात्रा**

8541. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) गत दो वर्षों में कितने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों ने नालन्दा, पावापुरी और राजगीर पर्यटन केन्द्रों की यात्रा की तथा वे वहां कितने समय तक ठहरे तथा उन केन्द्रों की यात्रा के लिये उन्होंने यातायात के किन साधनों का उपयोग किया;

(ख) क्या यह सच है कि इन तीन महत्वपूर्ण केन्द्रों के लिये दिल्ली और कलकत्ता से कोई सीधी रेल लाइन अथवा विमान सेवा नहीं है जिस से यात्रियों को अनावश्यक रूप से कठिनाइयां होती हैं; और

(ग) उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इन केन्द्रों के लिये यात्रा सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उनका क्रमवार ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक)** : (क) विदेशी पर्यटकों से संबंधित पर्यटक आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर रखे जाते हैं, (क) राज्यवार, या (ख) स्थानवार आधार पर नहीं । जहां तक अन्तर्देशीय पर्यटकों के आंकड़ों का संबंध है, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित करने के लिये अभी तक कोई उपयुक्त तरीका ईजाद नहीं किया गया है, हालांकि इस कमी को पूरा किया जा रहा है । अतः पर्यटन विभाग के पास, राजगिर, नालंदा तथा पावापुरी की यात्रा करने वाले अंतर्देशीय तथा विदेशी पर्यटकों के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

इस समय, अधिकांश पर्यटक राजगिर को अपना बेस बनाते हैं तथा बस द्वारा एक दिन की भ्रमण यात्रा पर नालंदा तथा पावापुरी जाते हैं । राजगिर में पर्यटकों के ठहरने की औसत अवधि लगभग तीन दिन है । अधिकांश पर्यटक तथा तीर्थ यात्री ट्रेन द्वारा बख्तियारपुर पहुंचते हैं और वहां से अपनी सुविधानुसार बस या शटल ट्रेन द्वारा राजगिर के लिए रवाना होते हैं :

(ख) राजगिर, नालंदा तथा पावापुरी के लिये पटना निकटतम विमान क्षेत्र है : पटना से बस द्वारा इन केन्द्रों की आसानी से यात्रा की जा सकती है । यात्री यातायात की कम संख्या होने के कारण इन केन्द्रों को दिल्ली या कलकत्ता के साथ सीधे विमान सेवा से जोड़ना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा : राजगिर तथा नालंदा से दिल्ली तथा कलकत्ता के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है, परन्तु

पटना-कलकत्ता मुख्य लाइन पर बख्तावरपुर से एक बांच लाइन राजगिर तथा नालंदा के लिए रेल सेवा की व्यवस्था करती है। ये केन्द्र राजगिर से 69 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पटना से सभी मौसम की सड़कों द्वारा भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि दिल्ली/कलकत्ता के लिए रेल यतायात का परिमाण कम होगा, इन केन्द्रों को सीधे दिल्ली तथा कलकत्ता के साथ रेल सेवा से जोड़ने पर भारी खर्चा करने का कोई पर्याप्त औचित्य नहीं होगा।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग का इन केन्द्रों की यात्रा करने वाले अत्याधिक संख्या में बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिये राजगिर तथा नालंदा में उपयुक्त सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों की एक मास्टर प्लान (भू-प्रयोग योजना) पहले ही तैयार की जा चुकी है, तथा आवास, शिविर स्थल, कैफेटीरिया आदि जैसी सुविधाओं के विकास कार्य को 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में लिया जाएगा।

**Complaints against State Bank Surat**

8542. SHRI HITENDRA DESAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) has Government received complaints against State Bank, Surat for delay in payment and harassment of poor applicants who held less than 10 of 1000 denomination notes;

(b) is it true that above payments are not made whereas larger amounts have already been paid; and

(c) will Government see that poor applicants do not incur harassment and their cases are immediately disposed of?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) to (c). Some representations were received to the effect that the State Bank of India, Surat, is not accepting certain declarations where the signatures of the declarants have been attested by functionaries other than those mentioned in Section 7(3) of the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978. The Reserve Bank has advised the parties to now get their declarations attested by the authorised functionaries under the Act to enable the State Bank of India, Surat, to act on them. Payments are made irrespective of the amount involved provided the declarations are in order.

**Money deposited by various organisations in Vijaya Bank**

8543. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several Government organisations, semi-Government organisations, Government Corporations, Statutory Bodies have deposited their money in Vijaya Bank as against the nationalised Banks; and

(b) if so, the reasons therefor and full details thereof and remedial measures proposed to be taken by the Government?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). Reserve Bank of India have reported that, under their existing arrangements for collection of statistical data from banks, information in regard to deposits of Government organisations is not separately obtained. However, under the existing instructions, public sector undertakings, local bodies and statutory authorities under the Central Government are required to have banking arrangements only with public sector banks. Relaxations from these instructions are given on merits. Government have no information that in contravention of these instructions public sector undertakings etc. under the Central Government are keeping deposits with the Vijaya Bank Ltd.